न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 08/2020 (राजस्व अपील)
GCMS No. 2020/00023

अनवान

1. श्री गोपाल पिता शंकर गायरी, निवासी ढीमड़ी, तह. झाड़ोल, जिला उदयपुर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये पटवारी, पटवार हल्का लुणावतो का खेड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर।

— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री मनीष शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल, प्र.स. 48/2020 दिनांक 18.09.2020

* निर्णय *

दिनांक— 19-01-2021

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार झाड़ोल, जिला उदयपुर निर्णय दिनांक 18.09.2020 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ढिमड़ी, तहसील झाड़ोल, मे अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी संख्या 83 रकबा 0.0300 हेक्टेयर भूमि स्थित है, जिसके उत्तर दिशा मे अपीलान्ट का मकान एवं दक्षिण पश्चिम दिशा मे बिलानाम आराजी संख्या 84 स्थित है। उक्त आराजी संख्या 83 मे शेष बची हुई भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा रोड़ बना दी गई हैं एवं उक्त आराजी पर पड़े हुये पत्थरों को मौके से हटा दिया गया है एवं अतिक्रमण करने पर आमदा है। अतः उक्त आराजीयात की वास्तविक नपती कराये जाने हेतु अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से मौके की जांच कराई गयी, जिसमे अपीलान्ट की आराजी के समीप स्थित आराजी संख्या 84 रकबा 0.0200 हेक्टेयर भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा बता दिया गया एवं धारा 91 के नोटिस जारी किये गये। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे अधिवक्ता के मार्फत विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया एवं अपीलान्ट की आराजी के संबध मे सीमा जानकारी बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये, उसके संबध मे कोई सही रिपोर्ट आज दिनांक तक प्रस्तुत नही की गई है। आराजी संख्या 83 एव 84 आपस मे मिली होकर इनके मध्य कोई सीमा[illegible] नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना एवं आराजी संख्या 83 की सही नपती कराये बिना विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है, जिसे अपास्त किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.01.22 15:36:00 IST
Reason: Self Attested

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विपक्षी को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कल्पित जैन द्वारा उपस्थिति दी गई एवं प्रकरण से संबधित मूल पत्रावली संख्या 48/2020 प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट श्री गोपाल पिता शंकर गायरी द्वारा बिलानाम आराजी संख्या 84 रकबा 0.0200 हेक्टेयर पर अतिक्रमण कर रखा था एवं सीमा जानकारी के बावजूद अपीलान्ट द्वारा बिलानाम भूमि पर कब्जा न छोड़ने से अपीलान्ट को उचित समय दिया जाने के बाद राजकीय भूमि से बेदखली का आदेश जारी किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार झाड़ोल से प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली संख्या 48/2020 प्राप्त होने पर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलान्ट अधिवक्ता ने बहस प्रारंभ करते हुए अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं तहसीलदार झाड़ोल द्वारा पारित आदेश को विधि विरूद्ध बताते हुये मौजा ढीमड़ी, तहसील झाड़ोल मे स्थित आराजी संख्या 83 रकबा 0.0300 हेक्टेयर भूमि पुश्तैनी होना, अपीलान्ट का मकान बना होना, आराजी संख्य 83 से बिलानाम आराजी संख्या 84 मिली होना, ग्राम पंचायत द्वारा आराजी संख्या 83 पर जबरन रोड़ बनाया जाना, भू प्रबंध विभाग से नियमानुसार नपती नही कराया जाना, अन्य अतिक्रमियो के विरूद्ध कोई कार्यवाही न करना, फील्डबुक नही बनाये जाना आदि आधारो पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताया एवं अनुरोध किया कि भू प्रबंध विभाग से नियमानुसार नपती कराने हेतु नियमानुसार राजकीय शुल्क अपीलान्ट वहन करने को तैयार है एवं विवादित आराजी का सेटलमेन्ट विभाग से नपती करायी जावे एवं तदुपरान्त अपीलान्ट का अतिक्रमण पाया जाता है तो वह तत्काल हटाने को तैयार है।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे भाग लेते हुये अनुरोध किया कि मौजा ढीमड़ी, तहसील झाड़ोल की आराजी संख्या 83 रकबा 0.0300 हेक्टेयर भूमि का सीमांकन कराये जाने पर पटवारी हल्का द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट श्री गोपाल पिता शंकर गायरी द्वारा आराजी संख्या 84 रकबा 0.0500 हेक्टेयर मे से 0.0200 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण कर पत्थर ड़ालने का तथ्य सामने आने पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 का प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार नोटिस जारी किये गये। अपीलान्ट द्वारा अधिवक्ता के मार्फत पुनः जांच कराने हेतु अनुरोध करने पर अतिक्रमी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने व न्याय हित मे उप तहसीलदार फलासिया की अध्यक्षता मे संयुक्त जांच दल का गठन कर जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई उक्त रिपोर्ट मे भी अपीलान्ट का बिलानाम आराजी संख्या 84 पर कब्जा करना पाया गया। अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण के संबध मे कोई सन्तोषजनक तथ्य प्रस्तुत न करने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई उपरान्त अतिक्रमी को बेदखल करने का आदेश पारित किया है, जो नियमानुसार है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.01.22 15:36:00 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमें वर्णित तथ्यों आदि का अवलोकन किया एवं उन पर गंभीरता से अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है

कि प्रकरण राजस्व ग्राम ढीमड़ी, तहसील खेरवाड़ा मे स्थिति आराजी संख्या 84 रकबा 0.0200 हेक्टेयर, राजकीय भूमि किस्म मगरी पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करने से संबधित है, जिसमे अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल द्वारा अपीलान्ट को मौके से बेदखल करने के आदेश पारित किये है। मामले मे यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट के पूर्वाधिकारियों की खातेदारी की आराजी संख्या 83 रकबा 0.0300 हेक्टेयर भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा सी.सी. रोड़ बनाये जाने की शिकायत अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड़ अधिकारी झाड़ोल को प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल द्वारा उक्त भूमि की सीमा जानकारी एवं मौका जांच करायी गई हैं। जांच रिपोर्ट मे आराजी संख्या 83 से लगती हुई बिलानाम आराजी संख्या 84 रकबा 0.0500 हेक्टेयर मे से 0.0200 हेक्टेयर भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण कर पत्थर ड़ालना पाया जाने पर नियमानुसार धारा 91, भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी को नोटिस जारी करने पर उसके द्वारा जवाब प्रस्तुत कर पुनः मौके की जांच कराने हेतु अनुरोध करने पर उप तहसीलदार फलासिया की अध्यक्षता मे जांच दल गठन कर पुनः जांच की गई है, जिसमे भी उक्त राजकीय आराजी संख्या 84 पर अपीलान्ट का अतिक्रमण सामने आया हैं। अपीलान्ट द्वारा बिलानाम भूमि पर कब्जे के संबंध मे कोई स्पष्ट तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। यदि प्रार्थी सेटलमेंट विभाग से पुनः नपती कराना चाहता है तो सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियमानुसार शुल्क जमा करा अग्रिम कार्यवाही करा सकता हैं। प्रकरण मे तहसीलदार झाड़ोल द्वारा पारित निर्णय मे कोई त्रुटि प्रथम दृष्ट्या परिलक्षित नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखे जाने योग्य पाया जाता है।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अतंर्गत धारा 75, भू राजस्व अधिनियम, 1956 अस्वीकार कर खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल द्वारा प्रकरण संख्या 48/2020 मे पारित निर्णय दिंनाक 18.09.2020 यथावत रखा जाता है एवं निर्देश प्रदान किये जाते है कि भविष्य मे भी बिलानाम राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जावें। अपीलान्ट यदि चाहे तो नियमानुसार शुल्क सक्षम प्राधिकारी को जमा करा नियमानुसार सेटलमेन्ट विभाग से नपती की कार्यवाही कराने हेतु स्वतंत्र हैं।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.01.22 15:36:00 IST
Reason: SelfAttested